

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 05/2021

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कैलाशराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी ग्वालू तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:09.03.21

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 231/2020 सरकार बनाम कैलाशराम में निर्णय दिनांक 03.06.20 के तहत मौजा ग्वालू के खसरा नं. 359 गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.12.20 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 18.01.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 231/20 सरकार बनाम कैलाशराम मे पारित निर्णय दिनांक 03.06.20 की फोटोप्रति तथा फर्द अहकाम दिनांक 02.03.20 से 03.06.20 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि हाल ही मे पटवारी द्वारा दिनांक 01.12.20 को मौके पर आकर जबरन अपीलांत को बेदखल करने की धमकी दी गई, इस पर भी अपीलांत ने सक्षम न्यायालय मे अलग से चाराजोही की, परंतु हाल ही पटवारी द्वारा पुनः मौके पर आकर अपीलांत को बेदखली की धमकी दी और कहा कि तू कोई भी कार्यवाही न्यायालयो के चक्कर मे आकर कर ले, हम तहसील वाले अपना फैसला खुद करते है, तेरे खिलाफ पुरानी तारीख मे फैसला करवा दिया है और बेदखली के आदेश हमारे पास है, जिस पर अपीलांत को सर्वप्रथम निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई तथा अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अविलंब पश्चात यह अपील पेश की। संपूर्ण कार्यवाही इस तथ्य से भी काल्पनिक व कागजी सिद्ध होती है कि वैश्विक कोरोना महामारी केक चलते लगाये गये देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि मे तारीखे रखकर सुनवाई की औपचारिकता पूरी कर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फोरी तौर पर केवल और केवल कागजी रूप से निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी जानकारी से अविलंब अंदर मियाद अपील पेश की है। जो अंदर मियाद शुमार की जाना उचित एवं न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(1)-निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियों के विरुद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरुद्ध तथा मौके की स्थिति के विरुद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।


अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)—अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, अपीलांट की कभी तलबी नहीं हुई, न कभी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, न ही अपीलांट को सुना गया, न ही अपीलांट ने कोई जवाब पेश किया, न ही अपीलांट की उपस्थिति में निर्णय जैर अपील पारित किया, न ही जवाब ही अवसर दिया गया। कोविड-19 के चलते संपूर्ण भारत वर्ष में जब तालाबंदी चल रही थी, तब अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही चालू होना कागजों में बताकर सरसरी रूप से पुरानी तारीखों का निर्णय जैर अपील की औपचारिकता पूर्ण करने के लिये कागजों की मिथ्या रचना कर यह निर्णय पारित किया गया है, जो इस आधार मात्र पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)—अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को साक्ष्य सबूत व सुनवाई तथा जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी दशा में अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की भी अवहेलना करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)—अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टार्डल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ है, इसमें मात्र खाली स्थानों की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियों के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)—प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरुद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत निर्णय नहीं होने के कारण निरस्तनीय है।

{2}(VI)—अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया एवं एकतरफा रूप से अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने देशव्यापी तालाबंदी के समय ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये केवल कागजों में बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया है, इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)—अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो पटवारी द्वारा नक्शा तैयार करना बताया गया है, उसमें कहीं भी भुजाओं का नाप चोप नहीं है, न ही स्पष्टतः यह दर्ज है कि किस दिशा में क्या निर्माण कर अथवा डालकर अतिक्रमण किया गया है, वास्तव में मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर नाप चोप कर रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उक्त सारी जानकारियां नक्शे में दर्ज होती हैं, संपूर्ण कार्यवाही केवलमात्र खानापूर्ति करने के लिये तथा जबरन अपीलांट को बेदखल करने के लिये राजनैतिक पार्टीबाजी से प्रेरित होकर उच्च राजनेताओं के दबाव में आकर की गई है, जो इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)—उक्त जायगा वास्तव में गै.मु. मगरा है, जो नियमन योग्य है, अपीलांट का कब्जा पुश्तैनी समय से वर्षों से रहता चला आया है तथा उक्त जगह अपीलांट बाड़े के रूप में काम में लेता आ रहा है, उक्त बाड़ा अपीलांट के पीढियों पुराना कब्जे व स्वामित्व का स्थित है, जिसमें अपीलांट व अपीलांट से पूर्व अपीलांट के पिता तुलछारामजी उक्त बाड़े का उपयोग व उपभोग बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे हैं तथा उक्त बाड़ा के दक्षिणी तरफ का कुछ भाग आबादी भूमि में आया हुआ है तथा आज से 40 वर्ष पूर्व से उक्त बाड़े को वर्तमान में अपीलांट व पूर्व में अपीलांट के पिता तुलछाराम जी उक्त बाड़े को उपयोग व उपभोग में बिना किसी रोक टोक व बिना किसी की दखलअंदाजी के लेते आ रहे हैं। उक्त बाड़ा अपीलांट का पुश्तैनी गै.मु. बाड़ा स्थित है, जिसके चारों तरफ पत्थरों की पक्की व कच्ची दीवारें निकाली हुई हैं तथा उक्त बाड़े में पुराने पत्थर व कांटे, पशुधन बांधने की जगह गोबर इत्यादि डालने के लिये उक्त बाड़े को पुराने समय से काम में लेते आ रहे हैं। पूर्व में समय समय पर अपीलांट द्वारा व अपीलांट के पिता द्वारा टीपी रसीदे कटवायी जाती रही है तथा पटवारी द्वारा भी पी 14 की नकले भी अपीलांट के हक में तैयार की गई हैं, जिसमें भी बतौर कब्जा व स्वामित्व अपीलांट का माना गया है। अभी हाल ही में पिछले साल हुए चुनावों से राजनैतिक द्वेषतावश शिकायत करने व अभी वर्तमान में पंचायत समिति के चुनावों में भी राजनैतिक पार्टीबाजी की रंजिशवश कुछ लोगों द्वारा शिकायत करने से पटवारी ग्वालू द्वारा मौके पर आकर के दिनांक 01.12.2020 को उक्त बाड़े पर से अपीलांट का निरंतर, निर्बाध रूप से लंबे समय से चले आ रहे


कब्जे को हटाने की एलानियां धमकी दी एवं उक्त बाड़े को खाली करने की धमकी दी। जबकि उक्त बाड़ा अपीलांट के पुश्तैनी स्वामित्व व कब्जे काश्त का स्थित है। जिसमे अपीलांट के पशुधन इत्यादि बांधने, चारा फूस डालने, कांटे व लकड़ियां डालने, पुराने पत्थर डालने के उपरांत भी पटवारी द्वारा उक्त बाड़ा गै.मु. मगरे में स्थित होने का कथन करते हुए उक्त बाड़ा खाली करने की एलानियां धमकी देने पर अपीलांट के उक्त बाड़े पर से बेदखल होने का खतरे के काले बादल मंडराने लग गये तथा क्योंकि उक्त बाड़ा अपीलांट का पुश्तैनी व लंबे समय से निरंतर व निर्बाध रूप से चले आ रहे कब्जे व स्वामित्व का होने के उपरांत भी पटवारी द्वारा जबरन राजनैतिक द्वेषता के चलते अपीलांट को अपने हक हकूको से महरूम करने की नियत से एलानिया धमकी दी एवं पटवारी द्वारा अपीलांट को एलानिया धमकी में यह कथन किया कि स्वतः ही उक्त बाड़ा खाली कर दो, अन्यथा पांच-सात दिन के अंदर मौके पर आकर के उक्त संपूर्ण पक्की दीवारो इत्यादि को तोडकर बेदखल कर दिये जाओगे। जिस पर अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में इस संबंध में कार्यवाही की, जिसकी पेशबंदी में खूनस में आकर तथा अपने दल-बल का प्रयोग कर पुरानी तारीखों में फर्जी इन्द्राज संपूर्ण पत्रावली का प्रयोग करते हुए केवल और केवल मात्र अपीलांट को बेदखल करने के दुराशय से निर्णय जैर अपील की खानापूर्ति की गई है, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ग्वालू में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायमें रखा जाना चाहिये।

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ग्वालू के खसरा नंबर 359 गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 18.03.2020 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया था। मगर इसके बाद में लॉकडाउन की स्थिति रहने से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा हो, ऐसा अभिलेख से प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के अभाव में इकतरफा पारित हुआ है। जिससे अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया हो, ऐसा साबित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
अपर क्लर्क, नागौर